न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 52/2022

श्री सेतराम चौधरी एडवोकेट, जिला अदालत परिसर टोंक --अपीलार्थी

वनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार बनेठा जिला टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 25.01.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार बनेठा को आवेदन पत्र दिनांक 13.08.2022 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

हल्का पटवारी खेलनिया ने ग्राम बाजोलिया के खसरा नम्बर 1118/1110 रकबा 0.49 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आबादी में विकय पत्र दिनांक 19.04.2018 के अनुसरण में नामान्तरण संख्या 712 दिनांक 12.08.2018 को भरा, जिस पर हल्का पटवारी खेलनिया ने दिनांक 23.07.2020 को यह रिपोर्ट की कि उक्त भूमि गैर मुमकिन आबादी में दर्ज है, जिसमें से पूर्व में प्लॉटो को 5 व्यक्तियों द्वारा क्रय कर लिया गया है, जिसके नामान्तरण दर्ज होकर राजस्व रिकार्ड में खातेदारों के नाम हो चुके है। शेष भूमि रास्ता व अन्य सुविधा वाली रामलाल पुत्र गोपाल बैरवा के नाम होने से बैचान किया गया है, जो कि विक्रय नही की जा सकती। यह विकय समपरिवर्तन की शर्तों के अनुसार नही हुआ है। रिपोर्ट पेश है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार बनेठा ने उक्त नामान्तरण को दिनांक 17.08.2020 को खारिज कर दिया। हल्का पटवारी खेलनिया ने अपनी रिपोर्ट किन दस्तावेजो के आधार पर की तथा वो कोनसे दस्तावेज है, जो यह दर्शित करते है कि विक्रय की गई जगह रास्ता व अन्य सुविधाओं की जगह है, जो विक्रय नही की जा सकती, उन दस्तावेजो की नकल तथा जिन 5 व्यक्तियों द्वारा प्लॉटो को खरीदना बताया है, जिनके खातेदारी लग चुकी है। उनकी खातेदारी की नकले तथा वर्तमान में खसरा नम्बर 1118/1110 वाके ग्राम बाजोलिया की नक्शा शीट की नकल तथा उक्त सारे दस्तावेज प्रार्थी को अपनी विस्तृत रिपोर्ट के साथ मय दस्तावेजो के सूचना उपलब्ध कराई जावे ।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार बनेठा को पत्र कमांक 1697 दिनांक 13.12.2022, 1734 दिनांक 21.12.2022 व 44 दिनांक 10.01.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार बनेठा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा

जिला कलेक्टर
टोंक

आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में नि:शुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एव नायब तहसीलदार बनेठा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर
टोंक